

प्रेषक,

सतीश कुमार-तृतीय,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम  
जौनपुर।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक महोदय,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा-

जनपद न्यायाधीश,  
जौनपुर।

विषय:- शासनादेश संख्या-1363-2-4-2009-45 (12)/91 टी.सी. नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ दिनांकित-13 मई 2009 और शासनादेश संख्या-1705-दो-4-2011/45 (120/91) टी.सी. नियुक्ति अनुभाग लखनऊ दिनांकित 03.01.2017 के अनुसार स्नातकोत्तर उपाधि धारण न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को 03 (तीन) अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय महोदय से ससम्मान निवेदन करना है कि आपके पत्रांक संख्या-5769/IV-4550 Admin.(A-1) Dated: 27.04.2023 के अनुसार मेरी LL.M. की डिग्री मेरे सर्विस रिकॉर्ड में शामिल कर ली गई है। मैंने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा दिनांक 05.07.2018 को ज्वाइन की थी एवं मेरा LL.M. का रिजल्ट दिनांक 31.12.2018 को घोषित हुआ था तथा मेरी LL.M. की डिग्री दिनांक 04.11.2019 को जारी की गयी थी।

उत्तर प्रदेश शासनादेश सं0-1363-2-4-2009-45(12)/91 टी.सी. नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ दिनांकित-13 मई 2009 और शासनादेश संख्या-1705-2-4-2011/45(120/91) टी.सी. नियुक्ति अनुभाग लखनऊ दिनांकित 03.01.2017 के अनुसार पी0सी0एस0(जे) सेवा में चयन होने के पूर्व विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एल.एल.एम.) धारित करने वाले उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों को 03 (तीन) अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया है। मेरे द्वारा पत्र के साथ (एल.एल.एम.) की अंकतालिका एवं डिग्री की प्रति संलग्न की जा रही है।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय से मुझे उक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 31.12.2018 से 03 (तीन) अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ स्वीकृत कराने की कृपा करें।

माननीय महोदय की महान कृपा होगी।

सादर।

भवदीय,

*Salish Kumar*  
12/06/2023  
(सतीश कुमार-तृतीय)

दिनांक-12.06.2023

J.O. Code-UP 2505

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम  
कोर्ट सं0-17, जौनपुर,

संलग्नक- (1) पत्रांक संख्या-5769/IV-4550 Admin.(A-1) Dated: 27.04.2023

(2) LL.M. Result

(3) LL.M. Degree

(4) Marksheets of LL.M.